उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियॉं और प्राप्तियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	187.93	92724.99	92912.92	151.75	115326.84	115478.59	60.91	123000.00	123060.91	124.75	125000.00	125124.75
	पूंजी	***3.49***	*...*	*3.49*	*178.25*	*...*	*178.25*	*89.09*	*...*	*89.09*	*87.25*	*...*	*87.25*
	जोड़	**191.42**	**92724.99**	**92916.41**	**330.00**	**115326.84**	**115656.84**	**150.00**	**123000.00**	**123150.00**	**212.00**	**125000.00**	**125212.00**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	35.65	35.65	...	39.87	39.87	...	38.79	38.79	...	42.22	42.22
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
2. खाद्य सब्सिडी													
2.01 खाद्य सब्सिडी	2408	...	79999.98	79999.98	...	56000.00	56000.00	...	60300.00	60300.00	...	59500.00	59500.00
2.02 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान	2408	...	12000.02	12000.02	...	59000.00	59000.00	...	62375.81	62375.81	...	64919.00	64919.00
जोड़- खाद्य सब्सिडी		*...*	*92000.00*	*92000.00*	*...*	*115000.00*	*115000.00*	*...*	*122675.81*	*122675.81*	*...*	*124419.00*	*124419.00*
3. चीनी के बफर स्टाक के अनुरक्षण पर सब्सिडी	2408	...	7.50	7.50	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	3.00	3.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के जरिए ब्याज सहायता	2408	...	9.60	9.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना 2007	2408	...	90.00	90.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के हैंडलिंग में कमी की प्रतिपूर्ति	2408	...	42.75	42.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. खाद्य तेलों के आयात से संबद्ध सब्सिडी	2408	...	318.34	318.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, 2014	2408	...	...	...	...	100.00	100.00	...	703.77	703.77	...	800.00	800.00
10. कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और प्रोन्नति सेवाओं पर प्रोत्साहन	2408	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00	...	...	...
11. चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध अन्य व्यय	2408	...	19.16	19.16	...	22.50	22.50	...	21.32	21.32	...	22.54	22.54
12. चीनी विकास निधि													
12.01 को अंतरण	2408	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	500.00	500.00
12.02 से	2408	...	-79.16	-79.16	...	-127.50	-127.50	...	-930.09	-930.09	...	-825.55	-825.55
	6860	...	-600.00	-600.00	...	-500.00	-500.00	...	-396.45	-396.45	...	-500.00	-500.00
	जोड़	*...*	*-679.16*	*-679.16*	*...*	*-627.50*	*-627.50*	*...*	*-1326.54*	*-1326.54*	*...*	*-1325.55*	*-1325.55*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	कुल	*...*	*-429.16*	*-429.16*	*...*	*-377.50*	*-377.50*	*...*	*-1076.54*	*-1076.54*	*...*	*-825.55*	*-825.55*
13. खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	3.86	16.87	20.73	9.50	19.71	29.21	15.46	18.62	34.08	30.85	20.22	51.07
13.01 राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	2408	0.31	14.21	14.52	0.25	17.26	17.51	0.25	16.78	17.03	0.25	18.56	18.81
	4408	0.49	...	0.49	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25
	जोड़	*0.80*	*14.21*	*15.01*	*2.50*	*17.26*	*19.76*	*2.50*	*16.78*	*19.28*	*2.50*	*18.56*	*21.06*
जोड़- खाद्य , भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम		*4.66*	*31.08*	*35.74*	*12.00*	*36.97*	*48.97*	*17.96*	*35.40*	*53.36*	*33.35*	*38.78*	*72.13*
14. भारतीय खाद्य निगम के अर्थोपाय अग्रिम (एफसी आई)													
14.01 अर्थोपाय अग्रिम	6408	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
14.02 घटाइए- अदायगियां	6408	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00
	कुल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		**4.66**	**92089.27**	**92093.93**	**12.00**	**114786.97**	**114798.97**	**17.96**	**122564.76**	**122582.72**	**33.35**	**124457.78**	**124491.13**
नागरिक आपूर्ति													
15. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	3456	0.31	...	0.31	0.63	...	0.63	0.49	...	0.49	1.02	...	1.02
	3601	0.64	...	0.64	1.71	...	1.71	0.94	...	0.94	0.57	...	0.57
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*0.95*	*...*	*0.95*	*2.35*	*...*	*2.35*	*1.44*	*...*	*1.44*	*1.60*	*...*	*1.60*
16. टीपीडीएस संचालनों का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	3456	1.39	...	1.39	6.00	...	6.00	4.00	...	4.00	4.93	...	4.93
	3601	182.81	...	182.81	102.02	...	102.02	17.74	...	17.74	63.82	...	63.82
	3602	...	...	...	3.50	...	3.50	1.40	...	1.40	1.25	...	1.25
	जोड़	*184.20*	*...*	*184.20*	*111.52*	*...*	*111.52*	*23.14*	*...*	*23.14*	*70.00*	*...*	*70.00*
17. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	0.07	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-नागरिक आपूर्ति		**185.15**	**0.07**	**185.22**	**113.87**	**...**	**113.87**	**24.58**	**...**	**24.58**	**71.60**	**...**	**71.60**
उपभोक्ता उद्योग													
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	3.00	...	3.00	26.00	...	26.00	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00
19. चीनी कारखानों का सुधार/ आधुनिकीकरण	6860	...	110.00	110.00	...	150.00	150.00	...	200.00	200.00	...	150.00	150.00
20. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	82.50	82.50	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
21. बगैस आधारित-सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	329.46	329.46	...	200.00	200.00	...	46.45	46.45	...	200.00	200.00
22. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	78.04	78.04	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**3.00**	**600.00**	**603.00**	**26.00**	**500.00**	**526.00**	**15.00**	**396.45**	**411.45**	**10.00**	**500.00**	**510.00**
23. गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना	2408	1.27	...	1.27	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
खाद्य, भंडारण और भांडागारण													
24. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोग को नॉन बिल्डिंग के लिए सहायता	2408	...	...	...	0.14	...	0.14	...	...	...	0.28	...	0.28
	3601	...	...	...	0.58	...	0.58	0.20	...	0.20	1.16	...	1.16
	3602	...	...	...	0.06	...	0.06	...	...	...	0.12	...	0.12
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*0.78*	*...*	*0.78*	*0.20*	*...*	*0.20*	*1.56*	*...*	*1.56*
25. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	22.35	...	22.35	16.92	...	16.92	15.49	...	15.49
	4552	...	...	...	150.00	...	150.00	71.84	...	71.84	75.00	...	75.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*172.35*	*...*	*172.35*	*88.76*	*...*	*88.76*	*90.49*	*...*	*90.49*
26. वास्तविक वसूलियां	3601	-2.66	...	-2.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*191.42*	*92724.99*	*92916.41*	*330.00*	*115326.84*	*115656.84*	*150.00*	*123000.00*	*123150.00*	*212.00*	*125000.00*	*125212.00*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
18.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	3.00	...	3.00	26.00	...	26.00	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00
18.02 केंद्रीय भांडागारण निगम	12408	...	692.73	692.73	...	160.23	160.23	...	710.44	710.44	...	608.52	608.52
18.03 भारतीय खाद्य निगम	22552	...	...	...	150.00	...	150.00	71.84	...	71.84	75.00	...	75.00
जोड़		**3.00**	**692.73**	**695.73**	**176.00**	**160.23**	**336.23**	**86.84**	**710.44**	**797.28**	**85.00**	**608.52**	**693.52**
ग. योजना परिव्यय													
1. खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	12408	8.93	692.73	701.66	43.78	160.23	204.01	36.66	710.44	747.10	49.91	608.52	658.43
2. नागरिक आपूर्ति	13456	182.49	...	182.49	113.87	...	113.87	24.58	...	24.58	71.60	...	71.60
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	172.35	...	172.35	88.76	...	88.76	90.49	...	90.49
जोड़		**191.42**	**692.73**	**884.15**	**330.00**	**160.23**	**490.23**	**150.00**	**710.44**	**860.44**	**212.00**	**608.52**	**820.52**

1. **सचिवालय व्यय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2.01. **खाद्य राजसहायता:** खाद्य राजसहायता की मदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए निम्न हेतु आवंटन शामिल हैं:-

(क) भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं को देने हेतु उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) बफर स्टाक/ रणनीतिक रिजर्व को रखने की लागत।

(ख) इसी प्रकार, कुछ राज्य सरकारों को भी राजसहायता का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।

(ग) भारत सरकार उन राज्य सरकारों को, जो खुदरा निर्गम मूल्य को रुपये 13.50 प्रति किलो की दर पर जारी रखें हुए हैं, रुपये 18.50 प्रति किलो की दर से वर्तमान आबंटन की मात्र के लिए राजसहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति वर्तमान आबंटन के स्टार तक की मात्र तक सिमित होगी।

(घ) 2015-16 के बजट प्राक्कलन में 124419.00 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी के प्रावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 64919.00 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

3. **चीनी के सुरक्षित भंडार के लिए राजसहायता:** यह प्रावधान चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. **चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावों के भुगतान के लिए किया गया है। इसे चीनी विकास निधि से दिया जाना है।

9. **चीनी इकाईयों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम:** रु 800 करोड का प्रावधान सभी भागीदार अनुसूचित कर्मशियल बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंगों, और सहाकरी बैंकों को चीनी कारखानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर, उन्हें पूर्व में चीनी मौसमों के बकाया को चुकाने और केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए नियत उचित और लाभप्रद मूल्य संबंधी गन्ना मूल्यों का समय पर निपटान करने के लिए ब्याज से बचने के लिए है। सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार ब्याज सब्वेंशन, जिसकी सीमा 12 प्रतिशत एनुअली है, लोन की अवधि के लिए ही है। जो मोरेटोरियम के दो वर्ष सहित पांच वर्ष है। इस निधि को चीनी विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

11. **अन्य व्यय - चीनी विकास निधि:** यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

12. **चीनी विकास निधि को अंतरण:** चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 मार्च, 2008 से 24 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में एकत्रित उपकर में से इसकी एकत्रण लागत घटाकर बची राशि के बराबर को चीनी विकास निधि में जमा कराने की व्यवस्था है जिसका उपयोग ऋण अनुदान देकर और चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य खर्च पूरे करके चीनी उद्योग के विकास और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे संबंधित प्रासंगिक खर्चे को पूरा करने के लिए किया जाना है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

13. **अन्य योजनाए - खाद्य, भंडारण और भंडागरण:** इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

14. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हेंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

15. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण:** यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने, टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।

16. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण:** यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए है।

18. **सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में निवेश:** यह प्रावधान मुख्यत: भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता कार्य, जो प्रगति पर है, को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है।

19. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण देने के लिए है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

20. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

21. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु हैं और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

22. **एनहाइड्रस अल्कोहल या इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है और इसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

23. **गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान खाद्य श्रृंखला और खाद्यान्नों की गुणवत्ता विनिर्देशन में लगे कर्मचारियों के गुणवत्ता कौशल को मजबूत बनाने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

24. **राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को नॉन बिल्डिंग आस्तियों के लिए सहायता:** यह प्रावधान राज्य सरकारों व संघ शासित राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के मद्देनजर राज्य खाद्य आयोग की नॉन बिल्डिंग आस्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

25. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लिए स्कीम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।